बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक:- ____________________ पटना, दिनांक____________

ग्रा.वि.-

प्रेषक,

प्रदीप कुमार ,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त, बिहार ।

विषय:- मनरेगा योजना के अंतर्गत सामजिक वानिकी के क्रियान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-220527 दिनांक-13.02.2015, पत्रांक-222119 दिनांक-25.02.2015 एवं पत्रांक-223035 दिनांक-04.03.2015

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक-222119 दिनांक-25.02.2015 द्वारा प्रति ग्राम पंचायत में 20,000 पौधे लगाने की कार्य प्रणाली तैयार करने का निदेश दिया गया था । विभागीय पत्रांक-220527 दिनांक-13.02.2015 एवं पत्रांक-223035 दिनांक-04.03.2015 द्वारा Road side plantation, Block plantation on community land/individual land, Farm bund plantation इत्यादि के संबंध में सूचना मांगी गई थी । ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-02.03.2015 को सामाजिक वानिकी से संबंधित राज्यस्तरीय नोडल पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में विभाग के द्वारा एक कार्ययोजना प्रस्तुत की गई थी ।

इस क्रम में प्रति ग्राम पंचायत 20,000 पौधे लगाने हेतु निम्नांकित कार्ययोजना का पालन किया जाय -

क) **<u>ROAD SIDE PLANTATION</u>**- प्रत्येक ग्राम पंचायत में PMGSY Road, REO Road, PWD Road एवं अन्य सड़कों की पहचान करते हुए वृक्षारोपण करना है । औसतन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी तीन मीटर संधारित की गई है । अर्थात एक कि0मी0 की सड़क के दोनों किनारों पर दो पंक्तियों में वृक्षारोपण करते हुए औसतन 1200 पौधें लगाये जा सकते हैं । ग्राम पंचायतवार कम-से-कम 5 कि0मी0 सड़क का चुनाव करते हुए 6000 पौधें लगाने की प्रक्रिया अपनाई जाय ।

ख) **<u>BLOCK PLANTATION ON COMMUNITY LAND</u>**- प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक भूमि, मंदिर परिसर, कब्रिस्तान, विद्यालय प्रांगण इत्यादि की पहचान करते हुए वृक्षारोपण करना है । औसतन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी तीन मीटर संधारित की गई है । एक हेक्टेयर में कुल-10,000 Square metre में वृक्षारोपण करने पर औसतन 1000 पौधें लगाये जा सकते हैं । ग्राम पंचायतवार कम-से-कम 8 हेक्टेयर पर block plantation on community land का चुनाव करते हुए 8000 पौधें अपनाई जाय ।

ग) **<u>BLOCK PLANTATION ON INDIVIDUAL LAND/ FARM BUND PLANTATION</u>**- प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, बी0पी0एल0 कार्डधारी, इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी, लघु एवं सीमांत किसान के जमीन इत्यादि की पहचान करते हुए वृक्षारोपण करना है । औसतन एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की

दूरी तीन मीटर संधारित की गई है । एक हेक्टेयर में कुल-10,000 Square metre में वृक्षारोपण करने पर औसतन 1000 पौधें लगाये जा सकते हैं । ग्राम पंचायतवार कम-से-कम 6 हेक्टेयर पर block plantation on individual land/ farm bund plantation का चुनाव करते हुए 6000 पौधें अपनाई जाय ।

उपर्युक्त कार्ययोजना का पालन करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20,000 पौधे लगाये जा सकते हैं। अतः अनुरोध है कि ग्राम पंचायतवार उपर्युक्त कार्ययोजना का पालन करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को दिनांक-~~23.03~~ 20.04.2015 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 1.4.15

(प्रदीप कुमार)

सचिव

ज्ञापांक- 226744 पटना, दिनांक- 07-04-2015.

प्रतिलिपि- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 1.4.15

सचिव

(हस्ताक्षर) 11/4/15